तारीख हुक्म	मु० नं० 12/2021 नामांतरकरण अपील हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज उनवान- नाथुसिंह वगैरा बनाम मनभरीदेवी वगैरा	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-1-2022	अधिवक्ता अपीलांट्स उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं० 1 लगायत 3 उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि अपीलाधीन नामांतरकरण सं० 156 दिनांक 13-7-2020 ग्राम देवरी तहसील सिकराय मृतक हरसहाय पुत्र भौरया जाति गुर्जर के विरासत का नामांतरकरण है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने मृतक हरसहाय के समस्त वारिसान की जाँच नहीं कर नामांतरकरण तस्दीक किया है। इसलिये प्रश्नगत नामांतरकरण को निरस्त करने एवं मृतक हरसहाय के समस्त वारिसान की जांच कर नामांतरकरण तस्दीक करने हेतु रिमाण्ड फरमाने का अनुरोध किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब बहस में प्रश्नगत नामांतरकरण को रिमाण्ड किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्षकारान की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः अपीलाधीन नामांतरकरण सं० 156 दिनांक 13-7-2020 ग्राम देवरी तहसील सिकराय निरस्त किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार बहरावण्डा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एवं संबंधित रिकार्ड का अवलोकन कर मृतक खातेदार हरसहाय पुत्र भौरया जाति गुर्जर के वारिसान की जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा को भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली कैफियत शुमार की जाकर नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति अभिलेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 12-1-2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। अति. जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official